छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर

पी.3 सी. 244,245, सेक्टर 27, हाउसिंग बोर्ड कालोनी नवा रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 02/02/17

क्रमांक/2012/49 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियम) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :–

मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, होगा।

(ii) कक्षा दसवी एवं बारहवी तथा उससे उच्च कक्षा हेतु "मेधावी प्रोत्साहन राशि" एक मुश्त देय होगी।

स.क.	कक्षावार विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 10 वीं एवं 12वीं हेतु	5,000	5,500
2.	समस्त स्नातक कक्षा	7,000	7,500
3.	समस्त स्नातकोत्तर कक्षा	10,000	10,500
4.	समस्त व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा	12,000	12,500
5.	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवी एवं बारहवी की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप टेन में आने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु	रूपये 1,00,000	
6	शासकीय आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडीकल, लॉ, डेन्टल, एवं नर्सिंग कालेज में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं हेतु (यह सुविधा अशासकीय संस्थाओं में उक्त विधाओं में प्रवेश लेने वाले हितग्राहियों के बच्चों को भी शासकीय संस्था में लागू शुल्क के बराबर प्रदाय किया जावेगा)	प्रत्येक शिक्षा सत्र की प्रवेश शुल्क, समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास में रहने एवं भोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मण्डल द्वारा किया जावेगा एवं प्रतिवर्ष कापी–किताब एवं स्टेशनरी हेतु रूपये 2000 मंडल द्वारा पृथक से देय होगा ।	

(iii) उक्त योजना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिनर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन किया जावेगा।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) योजना का लाभ प्रदेश के पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को मिलेगा।

(ii) पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों में से ऐसे बच्चे जो 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करें, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।

(iii) इस योजना के लाभ की पात्रता हितग्राहियों के पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत होगी।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया–

(i) योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

(ii) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) योजना के आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा ।

(iv) योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन करते समय,, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाईल नंबर, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(v) आधार कार्ड नंबर देने की सहमति नियमानुसार देय होगा ।

(vi) विगत वर्ष में उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(vii) वर्तमान सत्र में अध्ययनरत होने का प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

(vi) कक्षी दसवी अथवा बारहवी के टॉप टेन में आने का माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(स) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक / श्रम उप निरीक्षक को होगा।

(द) **भुगतान की प्रकिया :—**

(i) योजना के स्वीकृति पश्चात् हितग्राही अथवा उनके पुत्र/पुत्रियों के खातें में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से राशि स्थानांतरित की जावेगी ।

(द) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

टीपः— यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी ।
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

2/2/2017

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर
रायपुर दिनांक 02/2/17

पृष्ठांकन क्र0/2012/2205-2214
प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
8. एन आई सी शाखा बीओसी बोर्ड
9. लेखा शाखा बीओसी बोर्ड
10. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2/2/2017

(सचिव)
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर